

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - विसौडाढ (राज.)

(जीआरसीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल -

करजावा

851

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 5228/25

दाय. दिनांक 03.10.25

निर्णय दिनांक 03.10.25

| क्र.सं. | नाम-ग्राम | खान | रिपोर्ट | कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश |
|---------|--------------|-----|--|--|
| 1 | विराजी कांका | 11 | <p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बर्दादा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>वर्द्धादा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>हस्ताक्षर परदावी</p> <p>हस्ताक्षर पिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p> | <p>तहसीलदार कपासन की अनुश्रवा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>करजावा</u> म.ह. <u>करजावा</u> खालास <u>करजावा</u> में वर्तमान प्रविष्ट बर्दादा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> |

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद (करजावा) अधिकारी) कपासन

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(म.अ.) कपासन